राजस्थान विधान सभा

दशम् सत्र

कार्य-सूची

मंगलवार, दिनांक 19 मार्च, 2013

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(I) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के 199 गांवों के फ्लोराईडयुक्त पेयजल प्रभावित गांवों को बीसलपुर से जलापूर्ति करने के संबंध में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(II) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री ओम बिरला, सदस्य, विधान सभा, कोटा शहर में नाईट्रोजीनस खाद उत्पादक व केमिकल्स इकाइयों द्वारा प्रदूषण फैलाने पर भी विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

3. याचिकाओं का उपस्थापन

I- श्री अमराराम, सदस्य, विधान सभा, दॉतारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में परिवहन निगम की कतिपय बस सेवा उपलब्ध करवाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

II- श्री शिवजीराम मीणा, सदस्य, विधान सभा, एमडीआर-7 भीलवाड़ा-सुवाणा-कोटड़ी-पण्डेर-सावर की सम्पूर्ण सड़क को 7 मीटर चौड़ाईकरण करवाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

III- श्री पेमाराम, सदस्य, विधान सभा, सीकर जिले में ग्रामीण क्षेत्र में क्षतिग्रस्त कतिपय सड़कों का नवीनीकरण करवाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

4. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

(I) मेजर ओ.पी. यादव, सभापति, प्राक्कलन समिति ''क'', 2012-2013, प्राक्कलन समिति ''क'', 2011-2012 के पॉचवें प्रतिवेदन में समाविष्ट माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति के सातवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

(II) श्री शंकरलाल अहारी, सभापति, अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 2012-2013 जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा राजस्थान राज्य में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के कल्याण एवं विकास हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के संबंध में समिति के सातवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

जारी..2..

5. विधायी कार्य

पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक

(1) राजस्थान भूमि (अंतरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 2013

(I) श्री हेमाराम चौधरी, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान भूमि (अंतरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 2013
(2013 का विधेयक संख्या-17)

"लोक प्रयोजनों के लिये अर्जित या अर्जन के अधीन भूमियों के अंतरण पर और अधिसूचित क्षेत्र में स्थित किसी भी भूमि में हित के अर्जन पर कतिपय निर्बन्धन अधिरोपित करने और इससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(2) राजस्थान नर्स, दाई, स्वास्थ्य–वीक्षिका तथा सहायक नर्स-दाई रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2013

(I) श्री ऐमादुद्दीन अहमद खान (दुर्रू मियां), प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान नर्स, दाई, स्वास्थ्य-वीक्षिका तथा सहायक नर्स-दाई रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2013
(2013 का विधेयक संख्या-16)

"राजस्थान नर्स, दाई, स्वास्थ्य-वीक्षिका तथा सहायक नर्स-दाई रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1964 को और संशोधित करने के लिये विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(3) राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2013

(I) श्री परसादी लाल मीणा, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2013
(2013 का विधेयक संख्या-15)

"राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 को और संशोधित करने के लिये विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

जारी..3..

<u>6. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2013-2014</u>

<u>द्वितीय अवस्था</u>

<u>अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान</u>

निम्नांकित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान होगा :-

क्र.सं.	मांग संख्या
1.	16- पुलिस
2.	17- कारागार

(कटौती प्रस्ताव जो पृथक से वितरित किये जा चुके हैं/रहे हैं, प्रस्तुत किये जायेंगे)

पी.के.शास्त्री
विशिष्ट सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर ।
दिनांक : 18 मार्च, 2013